भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1974

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

जिला जल लेखा और जल सुरक्षा रिपोर्ट

1974. श्रीमती संध्या रायः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अवगत है कि देश में नदियों, तालाबों, भूजल तथा वर्षा जल के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित किए जाने के बावजूद प्रत्येक जिले के जल संसाधनों की वास्तविक स्थिति का कोई समेकित एवं सार्वजनिक वैज्ञानिक विवरण उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक "जिला जल लेखा एवं जल सुरक्षा रिपोर्ट" तैयार करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त रिपोर्ट को जिला योजना तथा वित्तीय आवंटन से भी जोड़ने का है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): 'जल' के राज्य का विषय होने के कारण, जल संरक्षण सहित जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, नियोजन, वित्तपोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार स्वयं किया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रयासों में सहायता करती है।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) देश भर में भूजल संसाधनों के अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित नियमित गतिविधियों को संचालित करता है। देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का मूल्यांकन वर्ष 2022 से सीजीडब्ल्यूबी और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह मूल्यांकन, मूल्यांकन-इकाई स्तर (ब्लॉक/मंडल/तालुका/तहसील/जिला, जो भी लागू हो) पर वार्षिक भूजल पुनर्भरण, वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन, वार्षिक भूजल निष्कर्षण और भूजल निष्कर्षण के स्तर का वैज्ञानिक अनुमान मुहैया कराता है। मूल्यांकन के परिणामों को सीजीडब्ल्यूबी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2025 के सक्रिय भूजल संसाधन आकलन के अनुसार, देश का कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 448.52 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है और वार्षिक निष्कर्षणीय भूजल संसाधन 407.75

बीसीएम है। भूजल निष्कर्षण का स्तर, जो सभी प्रकार के उपयोगों (सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू उपयोग) हेतु वार्षिक निष्कर्षणीय भूजल संसाधन पर किए गए वार्षिक भूजल निष्कर्षण का माप है, सम्पूर्ण देश के लिए 60.63% है।

इसके अतिरिक्त, देश भर में कुल 6,762 मूल्यांकन इकाइयों में से 4,946 (73.14%) को 'सुरक्षित', 758 (11.21%) को 'अर्ध-गंभीर', 201 (2.97%) को 'गंभीर', 730 (10.80%) को 'अति-शोषित' और 127 (1.88%) को 'लवणीय' की श्रेणी में रखा गया है। जिलेवार संसाधनों के विवरण को सीजीडब्ल्यूबी के ऑनलाइन पोर्टल पर देखा जा सकता है: https://cgwb.gov.in/GWRA/GWRA_2025.pdf#page=171

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 को कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत शहर द्वारा शहरी जल संतुलन योजनाओं (सीडब्ल्यूबीपी) और शहरी जल कार्य योजना (सीडब्ल्यूएपी) तैयार करते हैं। इन सीडब्ल्यूएपी को राज्य जल कार्य योजना (एसडब्ल्यूएपी) के रूप में संकलित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी योजना को समर्थन देने और जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण हस्तक्षेपो के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए ग्राम-स्तरीय व्यवहार्यता मानचित्र को जिलों के साथ साझा किया गया है। साथ ही, देश भर के 651 जिलों ने अपने-अपने जिलों में सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिला जल संरक्षण योजनाएँ तैयार की हैं।
